पत्रांक संख्या – 14 / डी0 एल0 ए0 (ग्रिड सब स्टेशन)– सुपौल– 176 / 13

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

संख्या.....2545 / रा0

पटना, दिनांकः– 25–10–13

अधिघोषणा

चुँकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि मौजा–सुखासन, थाना सं0–63, परगना– नारेदिगर, थाना– सुपौल, जिला– सुपौल में सार्वजनिक परियोजनार्थ अर्थात बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सुपौल में 220 / 132 / 33 के0वी0 ग्रीड सब स्टेशन निर्माण के लिए बिहार स्टेट पावर ट्रॉसमिशन कम्पनी लि0 के तहत बिहार सरकार के खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण अपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त योजना के लिए उपरोक्त ग्राम– सुखासन, थाना सं0–63 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित हैं, जो मानक माप से कमोवेश 20.00 (बीस एकड़) मात्र है, जिसका पूर्ण / अंश खेसरा निम्न प्रकार हैः–

पूर्ण खेसरा संख्याः– **2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2200, 2231, 2230, 2227, 2226, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2229, 2228, 2232, 2233, 2241, 2240, 2242, 2248 एवं 2249**

अंश खेसरा संख्याः– **2199, 2201, 2202, 2218, 2251, 2250, 2247, 2244, 2243, 2239 एवं 2234**

चौहद्दीः–

उत्तरः– **सड़क**

दक्षिणः– **खेसरा सं0–2216, 2218 एवं 2281**

पूरबः– **खेसरा सं0–2250, 2251, 2252, 2247, 2244, 2243, 2239, एवं 2234**

पश्चिमः– **खेसरा सं0–2188, 2194, 2195, 2199, 2201, 2202 एवं 2215**

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, लोहा, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों और खनिजों के केवल वे भाग, जिस कार्य के लिए भूमि अर्जित की जा रही है उसके निर्माण के लिए खोदना, हटाना या उपयोग में लाना आवश्यक हो ले, लिए जायेंगे। यह घोषणा अधिनियम 1, 1894 की धारा 6 और अधिनियम 18, 1885 की धारा 3 के खंड (1) यथा संशोधित अधिनियम की धारा 4 सन् 1961 एवं सन् 1984 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इससे संबंध हो। भूमि का मानचित्र जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

समाहर्त्ता,
सुपौल।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– 2545 /रा0, दिनांकः– 25-10-13

प्रतिलिपिः–

- तीन अतिरिक्त प्रतियॉं सीडी के साथ निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों– जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल को भेजने हेतु प्रेषित।
- प्रभारी जिला गजट पदाधिकारी, सामान्य शाखा, सुपौल को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने और इसकी पॉंच–पॉंच प्रतियॉं इस विभाग को एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय, सुपौल को यथा शीघ्र भेजने हेतु प्रेषित।
- समाहर्त्ता, सुपौल, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सुपौल एवं कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, वीरपुर (सुपौल) को सूचनार्थ प्रेषित।
- आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

25/10/13

सरकार के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।